**न्यायालय :– जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–III मधेपुरा।**

**A.B.P. No.-470/2026**

**सिंहेश्वर थाना कांड संख्या–88 / 2025**

उपस्थित :– धीरेन्द्र कुमार राय
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–III
मधेपुरा।

1. अभिषेक कुमार उम्र करीब 21 वर्ष पिता–सुरेश मंडल
2. आनंद कुमार उम्र करीब 19 वर्ष पिता–सुरेश मंडल
3. सुरेश मंडल उम्र करीब 53 वर्ष पिता–सिंहेश्वर मंडल
4. भूमि मंडल उम्र करीब 61 वर्ष पिता–सिंहेश्वर मंडल
5. महेन्द्र मंडल उम्र करीब 83 वर्ष पिता–सिंहेश्वर मंडल
6. अनिता देवी उम्र करीब 50 वर्ष पति–सुरेश मंडल

सभी साकिन–करूवैली, वार्ड नं0–13, थाना–कुमारखंड, जिला–मधेपुरा।

.....आवेदकगण।

**बनाम्**

बिहार सरकार .....प्रतिपक्षी।

**आदेश की तिथि 10 जून, 2026**

प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन अभियुक्तगण अभिषेक कुमार, आनंद कुमार दोनों पे0–सुरेश मंडल, सुरेश मंडल, भूमि मंडल, महेन्द्र मंडल तीनों पे0 सिंहेश्वर मंडल एवं अनिता देवी पति सुरेश मंडल के द्वारा सिंहेश्वर थाना कांड संख्या–88 / 2025 अन्तर्गत धाराऐं–137(2), 87 बी0एन0एस0 में पुलिस द्वारा गिरफ्तारी किये जाने की संभावना से बचने हेतु भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 482 के अन्तर्गत दाखिल किया गया है। अग्रिम जमानत आवेदन की प्रति विद्वान लोक अभियोजक को दी जा चुकी है।

अभियोजन का संक्षेप में कथन है कि सूचक घनश्याम चौधरी साकिन लालपुर, वार्ड नं0–8, थाना–सिंहेश्वर, जिला–मधेपुरा के स्थायी निवासी हैं। दिनांक 18.03.2025 समय करीब 08:00 बजे रात्रि को सूचक की पुत्री मुस्कान कुमारी दरवाजा पर टहल रही थी। एकाएक एक मोटरसाइकिल पर दो लड़का सवार होकर आये और सूचक की पुत्री को जबरदस्ती मोटरसाइकिल पर बिठाकर भाग गये। सूचक परिवार के साथ पुत्री को खोजबीन करने लगे तो पता चला कि सूचक की पुत्री मुस्कान कुमारी को अभिषेक कुमार शादी करने के नियत से जोर–जबरदस्ती कर उठाकर ले गये हैं। उक्त घटना में सुरेश मंडल, रूपा देवी, दिलीप मंडल, शंभू मंडल, महिन्द्र मंडल, अभिषेक कुमार की मॉ, नाम मालूम नहीं का संलिप्ता हैं। सूचक गांव के गणमान्य व्यक्तियों के साथ उपरोक्त नामित अभियुक्तगण के घर गये तो वे लोग गाली–गलौज करने लगे।

मेरे द्वारा उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना।

आवेदक अभियुक्तागण के विद्वान अधिवक्ता श्री संजीव कुमार के द्वारा यह कथन किया गया कि आवेदक अभियुक्तागण पूर्णतया निर्दोष है, तथा–कथित कोई अपराध कारित नहीं किया गया

न्यायालय :– जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–III मधेपुरा।

**A.B.P. No.-470/2026**

सिंहेश्वर थाना कांड संख्या–88 / 2025

**आदेश की तिथि 10 जून, 2026**

है। आवेदक अभियुक्तागण द्वारा किसी के साथ गाली–गलौज नहीं किये हैं। बल्कि झूठा फंसाया गया है। आवेदक अभियुक्तगण को ग्रामीण गंदी राजनीति के तहत सूचक के द्वारा प्राथमिकी में नाम अंकित करवा दिया गया है। मामले में सूचक की पुत्री अपने मनमर्जी से अपने रिस्तेदार के यहॉ गई थी। आवेदक अभियुक्तगण को सूचक के दुकान पर मिठाई खरीदने गये थे, खराब मिठाई देने के कारण वाद–विवाद होने पर प्राथमिकी में नाम झूठा अंकित करवा दिया गया है। प्रस्तुत वाद की घ ाटना दिनांक 18.03.2025 का बताया गया है। लेकिन प्राथमिकी दर्ज दिनांक 22.03.2025 को किया गया है। देरी का कोई कारण नहीं दिया है। जबकि सूचक का घर थाना के आसपास ही है। पीड़िता द्वारा धारा–183 बी0एन0एस0एस0 में बयान दिये हैं कि किसी प्रकार का कोई अपहरण नहीं किया गया है। आवेदक अभियुक्तागण के विरूद्ध प्राथमिकी में लगाया गया अभियोग नहीं बनता है। आवेदक अभियुक्तगण के विरूद्ध पूर्व से कोई आपराधिक इतिहास दर्ज नहीं है। आवेदक अभियुक्तगण का अग्रिम जमानत या नियमित जमानत आवेदन माननीय न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय पटना में दाखिल नहीं किया और न ही लंबित है। अतः आवेदक अभियुक्तागण को अग्रिम जमानत की सुविधा दी जाय।

बिहार सरकार की ओर से विद्वान लोक अभियोजक के द्वारा उक्त जमानत आवेदन पर घोर आपत्ति की गयी।

उभय पक्षों को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि सूचक के द्वारा आवेदक अभियुक्तागण के विरूद्ध धाराऐं– 137(2), 87 बी0एन0एस0 के अन्तर्गत प्राथमिकी दर्ज किया गया है। प्राथमिकी के अवलोकन से विदित होता है कि आवेदक अभियुक्तागण के विरूद्ध सूचक की पुत्री को शादी के नियत से भगाने एवं गाली–गलौज करने का अभियोग लगाया गया है। पीड़िता धारा–180 में बयान दिये हैं कि अभियुक्त अभिषेक कुमार से प्रेम करती हूॅ और उसी से शादी कर ली हूॅ। पीड़िता आठ माह का गर्भवती है। पीडिता अपने पति के साथ रहना चाहती हैं। पीड़िता धारा–183 में बयान दी है कि अभिषेक को 2–3 सालों से जानती व प्रेम करती थी। दिनांक 18.03.2025 को पूर्णिया जाकर विवाह कर पति–पत्नी के तरह रहने लगे। अभिषेक के साथ स्वेच्छा से गयी थी किसी ने अपहरण नहीं किया था। वाद दैनिकी के पारा–2 में वादी का पुनः बयान अंकित है। वाद दैनिकी के पारा–6 में सूर्यनारायण चौधरी, पारा–7 में कुन्दन देवी का बयान अंकित है। आवेदक अभियुक्त संख्या–1 (अभिषेक कुमार) के विरूद्ध सूचक की पुत्री को शादी की नियत से भगाकर ले जाने का अभियोग लगाया गया है। जन्म प्रमाण के रूप में प्रस्तुत दस्तावेज में पीड़िता की

**न्यायालय :– जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–III मधेपुरा।**

**A.B.P. No.-470/2026**

**सिंहेश्वर थाना कांड संख्या–88 / 2025**

**आदेश दिनांक 10 जून, 2026**

जन्म तिथि 06.03.2008 है तथा घटना की तिथि 18.03.2025 है, जिसके अनुसार पीड़िता घटना की तिथि को अवयस्क प्रतीत होती है।

अतः आवेदक अभियुक्त सं0–1 **अभिषेक कुमार** की ओर से बी0एन0एस0एस0 की धारा 482 के अन्तर्गत अग्रिम जमानत हेतु दाखिल आवेदन **खारिज** किया जाता है।

आवेदक अभियुक्तगण संख्या–2, 3, 4, 5 एवं 6 (आनंद कुमार, सुरेश मंडल, भूमि मंडल, महेन्द्र मंडल एवं अनिता देवी) हैं। आवेदक अभियुक्त सं0–1 के आवेदक अभियुक्तगण संख्या 2 भाई, 3 पिता, 3 एवं 4 चाचा एवं 5 मॉ हैं। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि आवेदक अभियुक्तगण के विरूद्ध पूर्व से कोई आपराधिक इतिहास दर्ज नहीं है। आवेदक अभियुक्तगण पर कोई विशिष्ट अभियोग नहीं है।

उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं वाद की परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए आवेदक अभियुक्त सं0–1 को अग्रिम जमानत का लाभ देना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः अभियुक्तगण **आनंद कुमार, सुरेश मंडल, भूमि मंडल, महेन्द्र मंडल एवं अनिता देवी** को गिरफ्तार / आत्म–समर्पण करने पर मो0 10,000 / –रुपये के बंध–पत्र के दो समान राशि के प्रतिभू के साथ जमानत बंध–पत्र दाखिल करने पर एवं अधीनस्थ न्यायालय के संतुष्टि होने पर, जमानत पर छोड़ने का आदेश दिया जाता है तथा आवेदक अभियुक्तगण इस आदेश के अधीनस्थ न्यायालय में प्राप्ति के **15 दिनों** के अन्दर न्यायालय में समर्पण करें तथा संबंधित न्यायालय धारा 482 बी.एन.एस.एस. के शर्तों के आलोक में इसे जमानत पर छोड़ने का आदेश करें।

लेखापित

ह0 / –
(धीरेन्द्र कुमार राय)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–III
मधेपुरा।